न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 07 / 2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020 / 00098

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
भुराराम पुत्र समरथाजी, जाति भील, निवासी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली		1. ग्राम पंचायत पोमावा जरिये सरपंच 2. शारदा देवी पत्नी दिनेश कुमार जाति भील निवासी पुराडा रोड, खाडिया, तहसील सुमरेपुर, जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 4-1-21

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध ग्राम पंचायत पोमावा तहसील सुमेरपुर दिनाँक 12.01.2013 जो मिसल संख्या 32 / 2012–2013 के जरिये जारी पट्टा संख्या 17 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर 'ग्राम पंचायत पोमावा का रेकर्ड तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया किया कि जैर निगरानी आदेश कानूनी एवं वाक्यातों तथा साक्ष्य के प्रतिकूल है जैर निगरानी आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया गया जबकि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का रहवासी मकान है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जो आवेदन पेश किया गया उसमें प्रार्थी का पुश्तैनी मकान / भूखण्ड का पट्टा बनाने का आवदेन पेश किया है नक्शा पेश हुआ एवं नक्शे के अनुसार वार्ड पंच मौका देख कर रिपोर्ट पेश करे अंकित है इसके बाद सीधे ही बयान दो गवाहों के दर्ज किए गए। एवं दिनांक 05.01.2013 को यह लिखा कि आवासीय भूखण्ड पर प्राथी का कब्जा साबित है। इसलिए 157(2) के तहत प्रार्थी को पट्टा बनाकर पेश हो तथा उसके बाद दिनांक 12.01.2013 को हस्ताक्षर के लिए पेश होता है तथा उसमें लिखा जाता है कि निःशुल्क पट्टा जारी किया जावे। दानो ही एक दूसरे के विरोधाभाषी है। नियम 157 के प्रावधान रहवासी मकान को नियमित करने संबंधी है। जबकि आवासीय भूखण्ड निःशुल्क नियम 157(2) के तहत नहीं दिया जा सकता है। तथा नियम 15(2) के तहत पट्टा दने का आदेश किया जाता है तथा दूसरी तरफ निशुल्क पट्टा देने का आदेश दिया जाता है। जबकि निःशुल्क [illegible] दिये जाने का प्रावधान है। दोनों आदेशिकाएं भी विरोधाभाषी [illegible] वजह से भी प्रस्ताव मय पट्टा काबिल निरस्त है। आपत्ति इश्तिहार 12.12 [illegible] है एवं एक माह की अवधी से पूर्व ही [illegible] जारी करने के आदेश जारी किए जाते है। आपत्ति इश्तिहार के बाद 30 [illegible] होना जरूरी है। गवा[illegible] भी बयानों में पुश्तैनी मकान होना जाहिर करते है जबकि शारदा स्वयं [illegible] प्रार्थना पत्र में पुश्तैनी भूखण्ड बता रही है पंचायत को आदेश पंजीका में भूखण्ड का ही उल्लेख है। शारदा के स्वयं के बयान नहीं है पट्टा पर लाइन खींची हुई हैं

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:43:41 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश................2

जिससे पट्टा वापस रद्द किया गया या कायम है यह स्पष्ट नहीं है। भूमि की पहचान के हदूद नहीं है। प्रार्थना पत्र पत्र विधिवत पेश नहीं हुआ है। स्थल निरीक्षक का शुल्क 25 रूपये जमा नहीं कराए गए है भूमि के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय नही है। शारदा प्रार्थी के बेटे की बहु है। प्रार्थी के और भी चार बेटे है उनका हक मारा जाने से घर में विवाद पैदा हो गया है प्रार्थी का पुत्र दिनेश अपनी पत्नी के नाम पट्टा बनाकर अकेला हक छीनना चाहता है इसलिए निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जैर निगरानी संलग्न पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त मिसल व रेकर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्ताव रजिस्टर में 12.01.2013 को बीपीएल परिवार के सदस्यों को आवासीय भूखण्ड के पट्टे बताने हेतु मिसल व पट्टे बना कर देने हेतु प्रस्ताव संख्या 2 लिया हुआ है तथा क्रम संख्या 15 पर अप्रार्थिया शारदा का नाम अंकित है। तथा कुल 19 बीपीएल परिवारों को पट्टे बकायदा प्रस्ताव लेकर निशुल्क जारी किए गए है। जैर निगरानी पट्टे बाबत ग्राम पंचायत पोमावा द्वारा मिसल संख्या 32/19.11.2012 कायम की हुई है जिसके अनुसार प्रस्ताव दिनांक 21.12.2012 की पालना के अनुसरण में मिसलों 1 से 19 तक के क्रम पर अंकित नामें की बताने एवं आपत्ति नोटिस जारी करने का उल्लेख है। जैर अपील निगरानी मिसल के भी दिनांक 21.12.2012 को आपत्ति इश्तिहार जारी कर आम चौराहे पर मौतबिरानों के रूबरू चस्पा किया गया था जो उसके पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षरों से स्पष्ट है मिसल में सचिव ग्राम पंचायत पोमावा द्वारा नक्शा बनाया गया है जिसके पड़ौस व नाम अंकित है तथा तीन वार्ड पंचों द्वारा स्थल का निरीक्षण भी किया गया जो मिसल में मौजूद है। तथा ग्राम पंचायत कें प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 12.12.2012 की पालना में किया गया है। आपत्ति इश्तिहार प्रशासन गांवों के संग ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश दिनांक F 15(79)प0रा0वि0/विधि/प्रगांव/अभि013/2012/15 दिनांक जयपुर दिनाँक 09.01.2013 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 के तहत नोटिस जारी किए जाने की निर्धारित अवधी के एक माह के स्थान पर 7 दिवस किया गया था उसी अनुरूप ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी होने के 7 दिवस के बाद पट्टा जारी किया गया जो पूर्व रूपेण विधि सम्मत है। प्रशासन गाँवों के संग अभियान 10.01.2013 से 28.02.2013 तक चलाया तथा जैर निगरानी पट्टा 12.01.2013 को ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क जारी किया जो विधी सम्मत है। पट्टा जारी करने से पूर्व दो स्वतंत्र गवाहो के बयान भी लिए गए है। पट्टा आबादी भूमी में है तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा समयावधी में आपत्ति पेश नहीं करने पर ही जारी किया गया है अगर प्रार्थी को आपत्ति थी तो उसी वक्त आपत्ति पेश कर सकता था प्रार्थी द्वारा आदिनांक इस प्रकरण में जैर निगरानी भूखण्ड के पुश्तैनी होने बाबत किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। एसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि जैर निगरानी पट्टा [illegible] जारी कर दिया गया है पट्टे पर लाईन रद्ध करने बाबत की नहीं [illegible] किसी जांच के दौरान सही होने के निशान मात्र है। [illegible] 1994 की धारा 97 के तहत विधिविरूद्ध अशुद्ध [illegible] आदेश निरस्त कराया जाता है इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पट्टे की [illegible]कता, शुद्धता एवं औचित्य के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने योग्य साक्ष्य [illegible]बूत पेश नहीं किए जाने के कारण उक्त आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:41 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत पोमावा द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 12.01.2013 की पालना में मिसल संख्या 32 / 2012–13 के जरिये जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 28.09.2013 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:41 IST
Reason: SelfAttested